

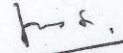
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(एन-170) अलेसे-I/ 80

दिनांक:- 08.05.19

कार्यालय आदेश

श्री नन्दलाल व्यास (लिंग नं. 1867), सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 1377 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में 24 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के फलस्वरूप तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था। श्री व्यास को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में श्री नन्दलाल व्यास द्वारा दायर याचिका संख्या 3095/2019 दिनांक 01.03.2019 में दिये गये निर्णय की पालना में श्री व्यास द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री नन्दलाल व्यास, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की नियमानुसार छः माह पूर्ण होने की तिथि से अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

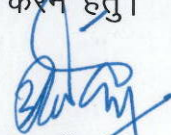

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(एन-170) अलेसे-I/ 80

दिनांक:- 08.05.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, पाली।
- 2 संयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच), कार्यालय हाजा।
- 3 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 4 श्री नन्दलाल व्यास, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I(निलम्बित), मुख्यालय- कोषालय, पाली।
- 5 श्री महेन्द्र गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय हाजा।
- 6 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 गार्ड फाईल/पदस्थापन शीट।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)